



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042026-271981
CG-DL-E-22042026-271981

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1916]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 2026/वैशाख 1, 1948

No. 1916]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 21, 2026/VAISAKHA 1, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2026

का.आ. 1987(अ).— गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में जारी अधिसूचना संख्या का. आ 85 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

2. उक्त अधिसूचना में "धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (ड) के अधीन नियुक्त" के अंतर्गत, क्र.सं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-के सामने दी गई प्रविष्टियाँ के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:

6	डॉ. मधुलिका काबरा , आनुवंशिक इकाई, बाल रोग विभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
7	डॉ. रत्ना दुआ पुरी, अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली	सदस्य
8	डॉ. अंजना सिन्हा, पूर्व प्रोफेसर, प्रसूति और स्त्री रोग विभाग, पीएमसीएच, पटना, बिहार	सदस्य
9	डॉ. शगुन अग्रवाल, चिकित्सा आनुवंशिकी विभाग, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद	सदस्य
10	डॉ. योगेश साठे, श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़	सदस्य
11	डॉ. कुमार अंगडी, प्रोफेसर और एचओडी पीडियाट्रिक्स, सरकारी मेडिकल कॉलेज यादगिरी , कर्नाटक	सदस्य
12	डॉ. नीलम सिंह, वात्सल्य, लखनऊ	सदस्य
13	डॉ. नारायणन वी. सी. एम. ओ. और ट्रस्टी, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, अट्टापडी, केरल	सदस्य
14	डॉ. अर्चना शर्मा, पूर्व चिकित्सा अधिकारी, एस. जी. पी. जी. आई. एम. एस., लखनऊ	सदस्य
15	श्रीमती वंदना योगी, अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, हिमाचल प्रदेश	सदस्य

2. उपर्युक्त सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

[फा. सं. वी. 11011/01/2021-पी. एन. डी. टी.]

मीरा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

फुटनोट: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ.85(अ.) दिनांक 5 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. 160(अ.) दिनांक 28 फरवरी, 1998 द्वारा संशोधित की गई थीं और इसके बाद का.आ. 694(अ) दिनांक 13 अगस्त, 1998;का.आ. 61(अ) दिनांक 14 जनवरी 2000;का.आ. 114(अ) दिनांक 1 फरवरी, 2000;का.आ.349(अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2001;का.आ. 931(अ) दिनांक 19 सितम्बर, 2001;का.आ. 590(अ) दिनांक 31 मई,2002;का.आ. 1191(अ) दिनांक 12 नवम्बर, 2002;का.आ. 703(अ) दिनांक 18 जून, 2003;का.आ. 1458(अ) दिनांक 23 दिसम्बर, 2003;का.आ. 99(अ) दिनांक 20 जनवरी, 2004;का.आ. 367(अ) दिनांक 17 मार्च, 2004;का.आ. 937(अ) दिनांक 19 अगस्त, 2004;का.आ. 1008(अ) दिनांक 16 सितम्बर, 2004;का.आ. 56(अ) दिनांक 19 जनवरी, 2006;का.आ. 199(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2006;का.आ. 200(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2006;का.आ. 1854(अ) दिनांक 30 अक्टूबर, 2006;का.आ. 1506(अ) दिनांक 20 जून, 2008;का.आ. 130(अ) दिनांक 6 जनवरी, 2009;का.आ. 2143(अ) दिनांक 20 अगस्त, 2009;का.आ. 779(अ) दिनांक 28 अप्रैल, 2011;का.आ. 85(अ) दिनांक 11 जनवरी, 2012;का.आ. 1272(अ) दिनांक 25 मई, 2012;का.आ. 2613 (अ) दिनांक 25 अक्टूबर, 2012;का.आ. 2825(अ) दिनांक 22नवम्बर, 2012; का.आ.

43(अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 2012; का.आ. 1351(अ) दिनांक 21 मई, 2013; का.आ. 306(अ) दिनांक 31 जनवरी, 2014; का.आ. 2520 (अ) दिनांक 26 सितंबर, 2014; का.आ. 2587(अ) दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 और का.आ. 1459 (अ) दिनांक 1 जून, 2015; का.आ. 2485 (अ) दिनांक 04 सितंबर, 2015; का.आ. 3097(अ) दिनांक 9 नवम्बर, 2015; का.आ. 4111(अ) दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 और का.आ. 132(अ) दिनांक 10 जनवरी, 2018 का.आ. 275(अ.) दिनांक 17 जनवरी, 2018, का.आ. 276(अ.) दिनांक 17 जनवरी, 2018; का.आ. 1794(अ.) दिनांक 02 मई, 2018; का.आ. 143(अ.) दिनांक 09 जनवरी, 2019, का.आ. 1934(अ) दिनांक 10 जून 2019, का.आ. 2779(अ) दिनांक 2 अगस्त 2019; का.आ. 3558(अ) दिनांक 1 अक्टूबर 2019; का.आ. 3636(अ) दिनांक 10 अक्टूबर 2019, का.आ.4123(अ) दिनांक 17 नवंबर 2020 का.आ.4354(अ) दिनांक 14 सितंबर, 2022 का.आ. 196(अ.) दिनांक 09 जनवरी, 2023 और का.आ. 410 (ई) दिनांक 16 जनवरी 2026 द्वारा आगे और संशोधित किये गये है।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2026

S.O. 1987(E).— In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 8 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act of 1994, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Notification No. S.O. 85 (E), dated 5th February, 1997, issued by Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:

2. In the said notification, under heading “appointed under clause (e) of sub-section (2) of Section 7” for serial number 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

6	Dr Madhulika Kabra , Genetic Unit, Department of Pediatrics, AIIMS, New Delhi	Member
7	Dr Ratna Dua Puri, Chairperson, Institute of Medical Genetics & Genomics, Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi	Member
8	Dr Anjana Sinha, Ex Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, PMCH, Patna, Bihar	Member
9	Dr Shagun Aggarwal, Department of Medical Genetics, Nizam 's Insitute of Medical Sciences, Hyderabad	Member
10	Dr Yogesh Sathe, Sri Sathya Sai Sanjeevani Hospital, Nava Raipur, Chhattisgarh	Member
11	Dr Kumar Angadi, Professor & HOD Pediatrics, Govt. Medical College Yadgiri, Karnataka	Member
12	Dr Neelam Singh, Vatsalya, Lucknow	Member
13	Dr Narayanan V, CMO and Trustee, Swami Vivekananda Medical Mission, Attappady, Kerala	Member
14	Dr. Archana Sharma, Former Medical Officer, SGPGIMS, Lucknow	Member
15	Smt Vandana Yogi, President , Bal Adhikar Sanrakshan Aayog, Himachal Pradesh	Member

2. The term of office of the above Members shall be for a period of three years commencing from the date of this Notification or till further orders, whichever is earlier.

[F. No. V.11011/01/2021-PNDT]

MEERA SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Footnote: The Principal Notification was published in the Gazette of India, vide no. S.O.85 (E), dated 5thFebruary, 1997 and amended vide No. S.O.160 (E) dated 28thFebruary, 1998 and further amended vide Nos. S.O. 694(E) dated 13thAugust, 1998, S.O. 61(E) dated 14thJanuary, 2000; S.O.114(E)dated 1stFebruary, 2000; S.O.349(E) dated 20thApril, 2001; S.O.931(E) dated 19thSeptember, 2001; S.O.590(E) dated 31stMay, 2002; S.O.1191 (E) dated 12thNovember, 2002; S.O.703(E) dated 18thJune, 2003; S.O.1458(E) dated

23rdDecember, 2003; S.O.99(E) dated 20thJanuary, 2004; S.O.367(E) dated 17thMarch, 2004; S.O.937(E) dated 19thAugust, 2004; S.O.1008(E) dated 16thSeptember, 2004; S.O.56(E) dated19thJanuary, 2006; S.O.199(E) dated 10thFebruary, 2006; S.O.200(E) dated 10thFebruary, 2006; S.O. 1854(E) dated 30thOctober, 2006; S.O.1506(E) dated 20thJune, 2008; S.O.130(E) dated 6thJanuary, 2009; S.O.2143(E) dated 20thAugust, 2009; S.O.779(E) dated 28thApril, 2011; S.O.85(E) dated 11thJanuary, 2012; S.O.1272(E) dated 25thMay, 2012; S.O. 2613(E) dated 25thOctober, 2012; S.O.2825(E) dated 22ndNovember, 2012; S.O.43(E) dated 31stDecember, 2012 ; S.O. 1351(E) dated 21stMay, 2013; S.O. 306(E) dated 31stJanuary, 2014; S.O. 2520(E) dated 26thSeptember, 2014; S.O. 2587(E) dated 2ndOctober, 2014; S.O. 1459(E) dated 1stJune, 2015; S.O. 2458 (E) dated 4thSeptember, 2015; S.O. 3097(E) dated 9thNovember, 2015; S.O. 4111(E) dated 22ndDecember, 2016; S.O. 132(E) dated 10thJanuary, 2018;S.O. 275(E) dated 17th January, 2018; S.O. 276(E) dated 17th January, 2018; S.O. 1794(E) dated 2ndMay 2018; S.O. 143(E) dated 9thJanuary 2019; S.O. 1934(E) dated 10thJune 2019; andS.O. 2779(E) dated 2ndAugust n2019; S.O. 3558(E) dated 1st October 2019; S.O. 3636 (E) dated 10thOctober 2019, S.O.4123(E) dated 17thNovember 2020; S.O.4354(E) dated 14thSeptember 2022, S.O. 2937(E) dated 15th July, 2024; S.O.4841(E) dated 22nd October 2025 and S.O. 5449(E) 20th November, 2025, S.O. 410(E) dated 16th January 2026.